



प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 23 मार्च, 2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा जथा जल संरक्षण-101-मृदा संरक्षण तथा परीक्षण-05-जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम योजना के मानक मद 27-सब्सिडी से मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-शो0एवंमृ0सर्वे0-901/जैव कल्चर/वित्तीय स्वीकृति/2025-26, दिनांक 11 नवम्बर, 2025, पत्र संख्या-शो0एवंमृ0सर्वे0-1178/जैव कल्चर/वित्तीय स्वीकृति/2025-26, दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 एवं पत्र संख्या-शो0एवंमृ0सर्वे0-1533/जैव कल्चर/वित्तीय स्वीकृति/2025-26, दिनांक 28 फरवरी, 2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा जथा जल संरक्षण-101-मृदा संरक्षण तथा परीक्षण-05-जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम योजना के मानक मद-27-सब्सिडी में हो रही बचत से ₹0 75.50 लाख से अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा जथा जल संरक्षण-101-मृदा संरक्षण तथा परीक्षण-05-जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम योजना के मानक मद-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में धनराशि रुपये 75.50 लाख (रुपये पचहत्तर लाख पचास हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि को विभागीय बचतों से संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

1. प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना विषयक गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य कृषि निदेशक, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
3. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
4. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
5. आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

6. जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एक मुश्त न करते हुए आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जाएगी।
8. व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
9. धनराशि के आहरण व्यय के दौरान वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-06/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
- 2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 75,50,000.00 (रुपये पचहत्तर लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 011 लेखा शीर्षक 2402001010500** जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम योजना **मानक मद 43-सामग्री एवं सम्पूर्ति** के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-06/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सर्वेश कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-12/2026/001-1832(2)/1395153/12-2099/117/2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. अपर कृषि निदेशक, (बीज एवं प्रक्षेत्र) 30प्र0, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, 30प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, 30प्र0।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक)-1 (बी0ण्म0-9 तीन प्रतियों में), उत्तर प्रदेश शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सर्वेश कुमार सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A012-20252026-1832 2025 1395153 12 2099 117 2021

विषय:- अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा तथा जल संरक्षण-101-मृदा संरक्षण तथा परीक्षण-05-जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत वर्ष 2025-26 में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2402001010500 (जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण / जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम)	27 (सम्पिडी)	1,38,00,000 रुपये एक करोड़ अड़तीस लाख मात्र	1,38,00,000 रुपये एक करोड़ अड़तीस लाख मात्र	-75,50,000 रुपये पचहत्तर लाख पचास हजार मात्र	7550000	6250000	2025-2026

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2402001010500 (जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण / जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम)	43 (सामग्री एवं सम्पूति)	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	75,50,000 रुपये पचहत्तर लाख पचास हजार मात्र	7550000	27550000	2025-2026

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहें :-

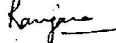
- 1- स्तम्भ-3 में उल्लिखित बचत का कारण योजनान्तर्गत अनुमोदित कार्ययोजना अनुसार मदों में परिवर्तन होने के कारण कारण हो रही है।
- 2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय का कारण अनुमोदित कार्ययोजना अनुसार मदों में परिवर्तन होने के कारण पुनर्वित्तियोग की आवश्यकता है।
- 3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्वित्तियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

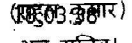
संख्या - ~~बजट~~ 1-535 दि 19-3-2026

संख्या: आर ई- < > -2025-26, दिनांक- जनवरी, 2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

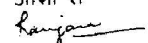

(डा० रंजना दुबे)
अनु सचिव।

Digitally signed by
RAHUL KUMAR
Date: 18-03-2026
()
अनु सचिव।

संख्या: 1832-2025/1395153/12-2099/117/2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
- 3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
- 4- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, 30प्र0।
- 6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (बी०एम०-9 तीन प्रतियों में)।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
- 8- गार्ड बुक।

आज्ञा से

(डा० रंजना दुबे)
अनु सचिव।